

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-33/डे.टे./ (एफ-1486)/2019/

दिनांक :

### संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/डे.टे./06/1191 दिनांक 20.12.2006 के द्वारा दन्त टेक्नीशियन के पद पर स्थाई किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्र.स. 28 पर अंकित कार्मिक के नाम में आंशिक संशोधन करते हुये श्री हरि किशन शर्मा के स्थान पर श्री हरिकृष्ण शर्मा पढा जावें।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

ह

( मुकुल शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 21/5/19

क्रमांक :- ई-33/डे.टे./ (एफ-1486)/2019/319

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर/बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर को उनके पत्र क्रमांक 2534 दिनांक 25.04.2019 के क्रम में।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
5. श्री हरीकृष्ण शर्मा, दन्त टेक्नीशियन (से.नि.) को द्वारा क्रम संख्या-3।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

३

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर